	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 31, गुरूवार, शाके 1944-सितम्बर 22, 2022 *Bhadra 31, Thursday , Saka 1944- September 22, 2022*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम,कौशल,नियोजन एंव उद्यमिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 01, 2022

संख्या प.1(ए)विविध/एरिया/2018-पार्ट-II-00570 :-बॉयलर्स अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षक और कारखाना निरीक्षक (रसायन) नियम, 1958 में राजस्थान सेवाओं में निरीक्षक कारखाना एंव बायलर्स के रूप में पदाभित पदों को तत्समय-धारण करने वाले निम्नलिखित व्यक्ति को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संपूर्ण राजस्थान के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करती है:-

1. दीपक चौधरी

राज्यपाल के आदेश से,

परमेश्वर लाल,
विशिष्ट शासन सचिव।

Labour,Skills,Employment& Entrepreneurship Department

Notification

Jaipur, August 01, 2022

No:F.1(A)Misc/Area/2018-Part-II-00570 .- In exercise of powers conferred by sub-section(1) of Section 5 of the Boilers Act, 1923 (Central Act 5 of 1923), the State Government hereby appoints the following person presently holding the post designated as Inspector of Factories & Boilers in the Rajasthan Service of inspectors of Factories & Boilers and Inspector of Factories (Chemical) Rules, 1958 as 'Inspector' for the purpose of the said Act for the whole of Rajasthan:-

1. Deepak Choudhary

By order of Governor,

Parmeshwar Lal,
Special Secretary to the Govt.

श्रम,कौशल,नियोजन एंव उद्यमिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 01, 2022

संख्या प.1(ए)विविध/एरिया/2018-पार्ट-II-00570 :-कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षक और कारखाना निरीक्षक (रसायन) नियम, 1958 में राजस्थान सेवाओ में निरीक्षक कारखाना एंव बायलर्स के रूप में पदाभित पद को तत्समय-धारण करने वाले निम्नलिखित व्यक्ति को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संपूर्ण राजस्थान के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करती है:-

1. दीपक चौधरी

राज्यपाल के आदेश से,

परमेश्वर लाल,
विशिष्ट शासन सचिव।

Labour,Skills,Employment& Entrepreneurship Department

Notification

Jaipur, August 01, 2022

No:F.1(A)Misc/Area/2018-Part-II-00570 .-In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948) the State Government hereby appoints the following person presently holding the post designated as Inspector of Factories & Boilers in the Rajasthan Service of Inspectors of Factories & Boilers and Inspector of Factories (Chemical) Rules, 1958 as 'Inspector' for the purpose of the said Act for the whole of Rajasthan:-

1. Deepak Choudhary

By order of Governor,

Parmeshwar Lal,
Special Secretary to the Govt.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।